



भारतीय मानक ब्यूरो  
BUREAU OF INDIAN STANDARDS

Panipat Branch Office

Address: Plot No 4-A, Madhya Marg,  
Sector 27-B  
Chandigarh-160019  
Phones : 0172-2650290  
Fax: 0172-2659065  
E-Mail: Ppbo-bis@gov.in  
web : http://www.bis.org.in

Our Ref :PPBO/CM/L - 9200119006

Dated: 26/08/2022

Subject: Grant of BIS Certification Marks Licence No 9200119006 as per IS 15392 : 2003.

M/s. LSKB Aluminium Foils Private Limited,  
Khevat No.-250,572,202,396, Vill:- Bhigan,  
Tehsil-Ganaur,  
District: Sonipat,  
Haryana 131101

Dear Madams(s)/Sir,

With reference to your application, we are pleased to inform you that the Certification Marks Licence has been granted to you to use the Standard Mark in respect of the followings:

**Product: - Aluminium and Aluminium Alloy Bare Foil for Food Packaging.**

**Grade/Class/Type/Variety**

Grade:40800, Form of product: Coil, Nominal Thickness: 11Micron to 18 Micron, Width:200mm to 1500mm,  
Surface Condition: Dry Annealed

1. The licence is granted on the explicit condition that you will mark entire production which conforms to the Indian Standards.
2. The number assigned to this licence is CM/L- 9200119006 which has been made operative from 2022-06-07 and is valid upto 2023-06-06. The licence number should invariably be referred to in your future correspondence. According to sub-regulation (1) & (3) of Paragraph 5 of scheme I of Schedule II under Bureau of Indian Standards (Conformity of Assessment) Regulation, 2018, the annual licence fee of Rs. 1000.00 and the marking fee for use of standard mark as per Annexure-I of Scheme I of BIS (Conformity assessment) Regulation 2018 is payable by you with effect from 2022-06-07 for the period of validity of the licence in advance.
3. Minimum marking fee stipulated in Annexure -I of scheme I of BIS (Conformity Assessment) Regulation 2018 is payable by you regardless of the whether you actually mark your product or not with the Standard Mark. Our Receipt No. AA92PC2022000210 dated 2022-05-23 for the licence fee and the minimum marking fee for the first operative period is already issued.
4. This advance minimum marking fee will be carried over to the next year on every renewal. The actual marking fee calculated on the unit rate on the production marked or the minimum marking fee, whichever is higher shall be payable by you at the time of renewal.
5. With a view to streamlining the reporting of quantity marked, calculation and collection of marking fee on the unit rate basis, fees will be calculated on the production marked during the first nine months of operation of the licence at the time of first renewal, and on the production marked during twelve months comprising the last three months of the previous operative year and the first nine months of the current operative year, at the time of the second and subsequent renewals. In case the licence expires, the entire production marked till the expiry date shall be taken into account for calculating the marking fee payable.

6. The Scheme of Testing and Inspection submitted by you and agreed by BIS or the Scheme of Testing and Inspection as specified by BIS will have to be implemented by your organization strictly and completely. This supervision of the operation of the Scheme shall be done by a person responsible for the quality control function in your organization. Kindly inform us the name and designation of the person who will be held responsible for the operation and maintenance of the Scheme. Any future change in this respect will have to be communicated by you to us as and when these take place.

7. We are enclosing a sheet giving the preferred dimensions of the Standard Mark to enable you to prepare the designs of the Standard Mark for marking the above product. Photographic reduction in any size is permissible. This will ensure the relative proportions of the different dimensions maintained. Preferred dimensions be used as far as possible.

8. On commencement of marking of your product for which you are licensed, you may advertise your product with Standard Mark in various media only during the validity of your licence. The use of Standard Mark on letterheads and publicity literature will be permitted only on receipt of your assurance that in the event of cancellation or lapsing of your licence, the Standard Mark on your letterheads, publicity literatures etc. will be destroyed/obliterated.

9. This licence is granted for your factory situated at **Khevat No.-250,572,202,396, Vill:- Bhigan, Tehsil-Ganaur, Sonipat, Haryana, India 131101**. Privileges under the licence shall not be exercised by any other firm company/factory etc. This licence is not transferable in the event of shifting the manufacturing and testing equipment from the licensed premises to some other place, use of Standard Mark shall be stopped till the new premises are inspected and found to be satisfactory by us in respect of manufacturing and testing facilities available there and the address of the new premises is endorsed in the licence.

Encl: As above



Scientist-E/Director & Head  
Panipat Branch Office





**भारतीय मानक ब्यूरो**  
**BUREAU OF INDIAN STANDARDS**

Address: Plot No.4-A, Madhya Marg,  
Sector 27-B  
Chandigarh-160019

Phones : 0172-2659065

Fax: 0172-2659065

E-Mail: ppbo-bis@bis.gov.in

web : http://www.bis.org.in

**Panipat Branch Office**

**पंजीकृत - पावती**

दिनांक 26/08/2022

हमारा संदर्भ : पानीपत शाखा का 0/सीएमएल/-9200119006

विषय भा 0 मा 0 ब्यूरो प्रमाणन मुहर लाइसेंस

उत्पाद : खाद्य पैकेजबन्दी के लिए ऐल्युमीनियम एवं ऐल्युमीनियम मिश्रधातु से बनी अनावृत पन्नी

भा 0 मा 0 संख्या : 15392:2003

07-06-2022 से 06-06-2023 तक लागू

मैसर्स एलएसकेबी ऐल्युमिनियम फॉयल प्राइवेट लिमिटेड,

खेवत नं.-250,572,202,396, गांव: - भिगान,

तहसील- गन्नौर

जिला: सोनीपत

हरियाणा 131101

उपरोक्त दर्शाये गये अनुसार आपके द्वारा उत्पाद उपरोक्तानुसार पर ब्यूरो मुहर लगाने के लिए भा.मा. ब्यूरो प्रमाणन मुहर लाइसेंस संलग्न है।

2. लाइसेंस यह मानते हुए स्वीकृत किया जा रहा है कि आप केवल प्रमाणन के समानकूल वाले सारे उत्पादन पर इसे मुहरांकित करेंगे। ब्यूरो कभी भी लाइसेंस समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

3. यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि परीक्षण एवं निरीक्षण योजना का पूर्णतः पालन करना जरूरी होगा।

4. परीक्षणों एवं निरीक्षणों के सभी रिकार्ड एवं रददीकरण के दस्तावेज भी ठीक ढंग से रखे जाने चाहिए। जब कभी भी हमारे निरीक्षण अधिकारी आपकी फैक्टरी में आयें एवं भा.मा. ब्यूरो के मांगने पर ये रिकार्ड दिखाये जाने चाहिए।

5. लाइसेंस में प्रदान स्कोप के अलावा कोई भी वैरायटी मार्क करना आई एस आई का दुरुपयोग माना जाएगा व नियमानुसार कारवाई की जाएगी। यदि वैरायटी जोडनी है तो आवेदन कर सकते है।

6. अनुरूपता के प्रमाणपत्र की शर्तें संलग्न है।

कृपया पावती भेजें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

भवदीय

प्रमुख ( पी पी बी ओ )

(पानीपत शाखा कार्यालय)

भारतीय मानक ब्यूरो  
Bureau of Indian Standards

मानक चिह्न के उपयोग के लिए अनुज्ञप्ति  
Licence for the use of Standard Mark

लाइसेंस सं सीएम/एल-9200119006  
Licence No. CM/L-9200119006

यह ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर  
By virtue of the power conferred on it by the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016) the Bureau hereby grants to

मैसर्स एलएसकेबी एल्युमिनियम फॉयल प्राइवेट लिमिटेड,  
एचएसआईआईडीसी, इंडस्ट्रियल एस्टेट,  
खेवत नं.-250,572,202,396, गांव: - भिगान,  
तहसील- गन्नौर  
जिला: सोनीपत  
हरियाणा 131101

M/s. LSKB Aluminium Foils Private Limited,  
Khevat No.-250,572,202,396, Vill:- Bhigan,  
Tehsil-Ganaur,  
District: Sonipat,  
Haryana 131101

को (जिसे इसमें आगे अनुज्ञप्तिधारी कहा गया है) इसकी प्रथम अनुसूची के पहले स्तंभ में विनिर्दिष्ट मानक चिह्न का, इस अनुसूची के तीसरे स्तंभ में दी गई किस्मों पर, उपयोग करने के लिए यह अनुज्ञप्ति प्रदान करता है। इन उत्पादित किस्मों पर चिह्नका उपयोग उक्त अनुसूची के द्वितीय स्तंभ में समय-समय पर संशोधित अथवा पुनरीक्षित/संदर्भित संबद्ध भारतीय मानक (मानकों) के अनुसार/अनुरूप विनिर्मित हो।

(hereinafter called the Licensee) this licence to use the Standard Mark set out in the first column of the Schedule hereto, upon or in respect of the varieties set out in the third column of the said Schedule which is manufactured in accordance with/conforms to the related Indian Standard(s) referred to in the second column of the said Schedule as from time to time amended or revised.

2 इस अनुज्ञप्ति में अनुबंध अनुज्ञप्ति की शर्तों के लिए अनुज्ञप्तिधारी उत्तरदायी हैं। यह अनुज्ञप्ति पहली अनुसूची में यथा-उल्लिखित नाम, कारखाना के पते और अवधि के लिए विधिमान्य होगा और इसे स्कीम-1 में निर्दिष्टानुसार नवीकृत कराया जा सकता है।

2. This Licence carries obligations on part of the licensee as conditions of licence which are given in Annexure attached herewith. This licence shall be valid for the name, factory address and period as mentioned in the schedule and may be renewed as specified in the scheme-I



अनुसूची

Schedule

(अनुज्ञप्ति सं सीएम एल- 9200119006)

(Licence No.CM/L-9200119006)

नाम :मैसर्स एलएसकेबी एल्युमिनियम फॉयल प्राइवेट लिमिटेड,


Name: M/s. LSKB Aluminium Foils Private Limited,

कारखाने का पता: खेवट नं.-250,572,202,396, गांव - भिगान, तहसील- गन्नौर, जिला: सोनीपत, हरियाणा 131101,

Factory address: Khevat No.-250,572,202,396, Vill.- Bhigan Tehsil- Gannaur District: -Sonipat, Haryana 131101,

विधिमान्य :सात जून दो हजार बाईस से छह जून दो हजार तेईस तक।

Validity: From Seventh June Two Thousand Twenty Two to Sixth June Two Thousand Twenty Three.

मानक चिह्न Standard Mark	भारतीय मानक Indian Standard	अनुज्ञप्ति का विषय क्षेत्र Scope of Licence	मुहरांकन शुल्क Marking Fee
(1)	(2)	(3)	(4)
IS 15392  CM/L-9200119006	भा. मा. 15392 : 2003 IS 15392 : 2003 खाद्य पैकेजबन्दी के लिए एल्युमीनियम एवं एल्युमीनियम मिश्रधातु से बनी अनावृत पन्नी Aluminium and Aluminium Alloy Bare Foil for Food Packaging	ग्रेड - 40800, उत्पाद का रूप - कुंडली, नामित मोटाई- 11 माइक्रोन से 18 माइक्रोन, चौड़ाई - 200 मिमी से 1500 मिमी, सतह की स्थिति- सूखी एनील्ड Grade:40800, Form of product: Coil, Nominal Thickness: 11Micron to 18 Micron, Width:200mm to 1500mm, Surface Condition: Dry Annealed	एक वर्ष की प्रचालन अवधि के दौरान न्यूनतम मुहरांकन शुल्क रु. 99000/- के साथ सभी इकाइयों के लिए रु. 0.4 प्रतिइकाई इकाई =1 कि. ग्रा. एक प्रचालन वर्ष के लिए न्यूनतम चिहनांकन शुल्क अग्रिम में देय होगी जो अगले नवीकरण में अग्रनीत होगी। Rs. 0.4 per unit for all the units with a minimum marking fee of Rs. 99000/- during an operative period of one year. Unit = 1 KG Minimum marking fee for one operative year payable in advance which will be carried over to next renewal(s)

आज वर्ष 2022 के

Signed, Sealed and Dated this

26<sup>th</sup>

26<sup>th</sup>

माह की

day of

26<sup>th</sup>  
August

तारीख को हस्ताक्षरित, मुहरबंद किया गया

month of Year 2022

भारतीय मानक ब्यूरो के लिए  
For Bureau of Indian Standards



(एस. सी. दास)

(S.C.DASS)

वैज्ञानिक-ई/निदेशक एवं प्रमुख  
Scientist-E/Director & Head  
(पानीपत शाखा कार्यालय)  
(Panipat Branch Office)

# भारतीय मानक ब्यूरो

(उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार)

**BUREAU OF INDIAN STANDARDS**

(Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Govt. of India)

## उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय

प्लॉट नं० 4-ए, सेक्टर 27-बी, मध्य मार्ग, चण्डीगढ़ - 160019

**NORTHERN REGIONAL OFFICE**

Plot No. 4-A, Sector 27-B, Madhya Marg, Chandigarh-160019

Telephones(s) : 0172-2650206, 2650290 Fax : 0172-2650259

E-mail : nro@bis.org.in / Website : www.bis.org.in

संदर्भ : P.P.B.O. / एल :- 9200119006

विषय : नए लाइसेंसधारियों द्वारा विज्ञापन जारी करने सम्बन्धी हिदायतें।

दिनांक : 26/08/2022

मैजर्स एल एम कैबी एल्युमिनियम फॉपल प्राइवेट लिमिटेड,  
एच एस आई आई डी सी, इंडस्ट्रियल एस्टेट,

सेक्टर नं० - 250, 572, 202, 396, गांव : भिगान,

तहसील - गब्बौर

जिला - सीबीपत

हरियाणा - 131101

महोदय,

1. ब्यूरो का प्रमाणीकरण मुहरांकन लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात् आप लाइसेंसधारियों के उस विशाल परिवार में शामिल हो गए हैं जो ब्यूरो प्रमाणीकरण मुहर योजना को संचालित कर रहे हैं।
2. जैसा कि आपको निःसन्देह विदित है कि उपभोक्ता उन उत्पादों को प्राप्त करना चाहते हैं जो मानकों के अनुरूप हों एवं वे नए बी आई एस लाइसेंसों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। अतः यह आवश्यक है कि दूर-दूर तक इस बात का प्रचार होना चाहिए कि आपके उत्पाद को बी आई एस लाइसेंस प्रदान किया गया है और इस प्रयोजन के लिए हम आपको सुझाव देते हैं कि आप इस तथ्य की सूचना देते हुए लाइसेंस प्राप्त उत्पादन के विवरण सहित समाचार पत्र में विज्ञापन दें। उपभोक्ता के दिमाग पर अच्छी छवि बनाते हुए विज्ञापन में वह मानक मुहर भी प्रदर्शित करें जो आपको प्रदान की गई है। क्षेत्रीय समाचार पत्रों में ऐसे विज्ञापन जारी करने से अच्छी कवरेज प्राप्त करने में लाभ हो सकता है।
3. आप अन्य मीडिया जैसे रेडियो या टी वी के द्वारा भी अतिरिक्त प्रचार करने के विषय पर विचार कर सकते हैं।
4. हम आशा करते हैं कि आप उपर्युक्त सुझाव को कार्यान्वित करेंगे एवं हमारा आप से अनुरोध है कि आप अपने विज्ञापन का कलेवर (Test) पूरे विज्ञापन/वर्ष के प्रचार कार्यक्रम सहित अनमोदन हेतु हमें भेज दें।

भवदीय,

निदेशक एवं प्रमुख



UNDERTAKING

With reference to the BIS Certification Marks Licence No. CM/L-.....9200119006..... for  
..... as per  
IS 15392:2003..... granted to us, we hereby undertake that in the vent of deferment or  
cancellation of the said licence by the Bureau, we shall:

a) Obliterate the BIS Standard Mark on our letterheads, price lists, pamphlets and all other  
publicity materials and

b) Not make any public claim to the effect that we are holding the above mentioned licence  
and/or reproduce the BIS Standard Mark in newspapers or any other media of publicity.

In this connection we have gone through the relevant sections of the BIS Act 2016 and  
Regulations of BIS (Conformity Assessment) Regulations 2018.

Signature:

Name:

For & On Behalf of:

Date:

Seal:

# GENERAL INSTRUCTIONS ON SIZES OF ISI MONOGRAM TO BE USED BY LICENSEES UNDER ISI CERTIFICATION MARKS SCHEME

Refer to the Standard Mark indicated in your licence. Regarding size please note that :

- Photographic reduction in any size of Figure 1 size permissible; and
- Preferred dimensions as given in Table 1 be used as far as possible




FIG. 1

TABLE 1 PREFERRED DIMENSIONS OF ISI MONOGRAM  
All dimensions in millimeters

A	B	a	R	r	SIZE OF LETTERS
2.5	1.9	0.2	0.4	-	1.0 mm
5	3.8	0.4	0.8	0.1	1.0 mm
10	7.5	0.7	1.7	0.2	2.0 mm
20	15	1.5	3.3	0.5	3.0 mm
40	30	2.9	6.7	1.0	4.0 mm
80	60	5.9	13.4	1.9	6.0 mm
160	120	11.7	26.7	3.8	10.0 mm
320	240	23.4	53.4	7.6	16.0 mm



यह एक वैधानिक दस्तावेज है, कृपया इस दस्तावेज से कोई भी पेपर अलग न करें।

## भा. मा. ब्यूरो के लाइसेंसियों के उत्तरदायित्व (Responsibilities of BIS Licencee)

### सामान्य

1. आई. एस. आई. प्रमाणन संबंधी सभी मामलों के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को नामित करें।
2. समय समय पर यथा संशोधित भा. मा. ब्यूरो प्रमाणन मुहर अधिनियम, नियमों एवं विनियमों के उपबन्धों के बारे में पता करते रहें।
3. न्यूनतम - मुहरांकन - शुल्क का अग्रिमतः भुगतान करें। यदि ऐसा समय पर नहीं होता तो आपका लाइसेंस निलम्बित किया जा सकता है।
4. विशेषतः क्वालिटी कंट्रोल विभाग के सभी संबंधित कार्मिकों को आपके लाइसेंस के साथ संलग्न किये गये अद्यतन भारतीय मानक (मानकों) एवं परीक्षण एवं निरीक्षण योजना के पेपरों की प्रत्येक एक-एक प्रति दें। भारतीय मानक को दुबारा से मुद्रित न करें चूंकि ऐसा करना कापी राइट अधिनियम का उल्लंघन है।
5. (जहां आवश्यक हो) उत्पाद/बैंक प्राधिकारियों से पहले अनुमति प्रदान करें ताकि नमूने भा. मा. ब्यूरो के निरीक्षण अधिकारी एवं संबंधित प्रयोगशाला को उपलब्ध कराये जा सकें। किसी कठिनाई का सामना करने की स्थिति में भा. मा. ब्यूरो को सूचित करें।
6. भा. मा. ब्यूरो द्वारा निर्धारित की गई अवधि में आपके द्वारा तैयार किए गए उत्पादन की मात्रा एवं मुहरांकित किए गए उत्पादन के विवरण प्रस्तुत करें।
7. यदि आपके संगठन, उनके स्तर, फैक्टरी - परिसर, प्रबंधन, एरिया, डिजाइन एवं जिस ब्रांड पर आप मुहर लगा रहे हैं, उसके ब्रांड नाम/नामों में कोई बदलाव करते हैं तो भा. मा. ब्यूरो को तुरन्त सूचित करें।
8. आपके लाइसेंस को वैध अवधि की समाप्ति - तिथि माह पूर्ण नवीकरण (लाइसेंस एवं शुल्क सहित) के लिए इसके लिए पहले से दी गई सहमति के आधार पर नवीकरण नहीं होगा। इसके लिए आवेदन करते समय, आवेदन - पत्र के साथ संलग्न 'कार्य निष्पादन शीट' में पूरा विवरण दिया जाना चाहिए।
9. लाइसेंस को रद्द कर दिये जाने/स्थगित कर दिये जाने/समाप्त कर दिये जाने की विशेष स्थिति में भा. मा. ब्यूरो के सभी निर्देशों का तुरन्त पालन करना होगा, अन्यथा आपको अधिनियमानुसार, मुकदमे का सामना करना पड़ेगा।

### मुहरांकन

10. मानक मुहर के डिजाइन, समानुपात एवं लागू करने के तरीके के लिए भा. मा. ब्यूरो से पहले अनुमोदन प्राप्त करें जब भी आवश्यक हो भा. मा. ब्यूरो से मदद लें। जब आप पहली बार अपने उत्पादन पर मुहर लगायें तो भा. मा. ब्यूरो को सूचित करें।
11. जब आप उत्पादन बंद करें एवं मुहरांकन रोकें / पुनः आरम्भ करें तो भा. मा. ब्यूरो को सूचित करें। उत्पादन/मुहरांकन रोकने के समय भा. मा. मुहरांकित माल के स्टॉक की सूचना दें।

12. जिस उत्पादन के लिए आपने वैद्य लाइसेंस प्राप्त किया है/किये हैं/ उससे संबंधित भारतीय मानक/मानकों के समानुकूल वैरायटियों एवं बैचों/उत्पादन ढेरों पर ही भा. मा. ब्यूरो-मुहर लागू है।
13. यदि भा. मा. ब्यूरो से पूर्व अनुमति प्राप्त नहीं की गई है, तो अन्य एजेन्सियों में उत्पादित माल पर भा. मा. मुहर न लगायें। दूसरी एजेन्सियों द्वारा आपके लिए उत्पादित माल पर भी मुहरांकन की अनुमति नहीं है।
14. लाइसेंस की स्वीकृति से पूर्व उत्पादित माल पर कभी भी भा. मा. ब्यूरो मुहर न लगायें।

### निरीक्षण एवं परीक्षण

15. आपके लाइसेंस के साथ संलग्न की गई परीक्षण एवं निरीक्षण योजना में उल्लिखित निरीक्षण एवं परीक्षण के रिकार्ड रखें।
16. भा. मा. ब्यूरो के निरीक्षण अधिकारी को आपके उत्पादन लाइन एवं रिकार्ड की चेकिंग में, आपकी फैक्टरी परिसरों में परीक्षण एवं स्वतन्त्र परीक्षण के लिए नमूने/नमूनों को लेने में यथा संभव सहयोग करें।
17. भा. मा. ब्यूरो के निरीक्षण अधिकारी को आपकी फैक्टरी में पहुँचने के तुरन्त बाद संबंधित कार्मिकों की उपस्थिति एवं प्रयोगशाला / गोदाम की चाबियों, इत्यादि (यदि उपलब्ध न हो) का प्रबंध करें।
18. टेस्ट-उपकरणों को समय-समय पर अनुसंधोधित करायें एवं इसके रिकार्ड रखें।
19. आपकी क्वालिटी कंट्रोल विभाग में किसी प्रकार का बदलाव किये जाने पर भा. मा. ब्यूरो को सूचित करें। यदि आवश्यक हो तो आपके परीक्षण-कार्मिक को प्रशिक्षित करने के लिए भा. मा. ब्यूरो से मदद लें।
20. भा. मा. ब्यूरो के निरीक्षण अधिकारी द्वारा सील किये गये काउंटर-नमूने का परीक्षण न करें, यदि आवश्यक हो तो भा. मा. ब्यूरो की पहले अनुमति प्राप्त करें।
21. भा. मा. ब्यूरो के निरीक्षण अधिकारी द्वारा लिये गये नमूनों को लाने और ले कर जाने में होने वाले संभावित नुकसान से बचाने के लिए उसे सही ढंग से पैक करें एवं सुनिश्चित करें कि भा. मा. ब्यूरो के निरीक्षण अधिकारी की मुहर ठीक से लगी है।
22. भा. मा. ब्यूरो के निरीक्षण अधिकारी को द्वारा यथा निर्देशित एवं ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय/ब्रांच कार्यालय की सलाह पर नमूनों को शीघ्र प्रयोगशाला भेजें।
23. ध्यान दें कि यदि भा. मा. ब्यूरो का निरीक्षण अधिकारी अपने निर्धारित समय पर आपकी फैक्टरी का निरीक्षण नहीं कर पाते हैं तो उसके दौरे की संपूर्ण व्यवस्था एवं खर्च आपको वहन करना पड़ेगा। (देखें 5,11,16 एवं 17)